सहायक कलक्टर न्यायालय, सिवाना

पीठासीन अधिकारी, श्री अन्जुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–43 / 2010

वादीगण :–

1. हीराराम पुत्र खुशालाराम जी जाति चौधरी
2. सोनाराम पुत्र खुशालाराम जी जाति चौधरी
3. दुर्गाराम पुत्र खुशालाराम जी जाति चौधरी
4. मादाराम पुत्र रूगनाथराम जी जाति चौधरी
5. रूपाराम पुत्र रूगनाथराम जी जाति चौधरी
6. मंगलाराम पुत्र रूगनाथराम जी जाति चौधरी
7. श्रीमती तीजो बेवा रूगनाथराम जी जाति चौधरी
8. श्रीमती धापू बेवा दीपाराम जी जाति चौधरी
9. भीमाराम पुत्र दीपाराम जी जाति चौधरी
10. सुरेश पुत्र दीपाराम जी जाति चौधरी
(वादी संख्या 9,10 नाबालिग जरीये कुदरती वली माता वादीनी संख्या 8 श्रीमती धापूदेवी बेवा दीपारामजी)
11. ताम्बाराम पुत्र तेजाराम जी जाति चौधरी
12. नारायण पुत्र तेजाराम जी जाति चौधरी
13. श्रीमती अचली बेवा तेजाराम जी जाति चौधरी निवासीयान समदडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. तगाराम पुत्र थानाराम जाति जटिया
2. पुखराज पुत्र चंदणाजी जाति जटिया
3. कैलाश पुत्र तगाराम जाति जटिया
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारकत तहसीलदार समदडी
5. चर्म उत्पादन सहकारी समिति लि. समदडी जरिये अध्यक्ष तगाराम पुत्र कानाराम जाति जटिया निवासी समदडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह भाटी ।

2 विप्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी ।

–: आदेश :–

दिनांक – 23.02.18

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के [illegible]

संयुक्त हिन्दू खानदान है तथा कर्ता खानदान प्रार्थी संख्या 1 हीराराम है तथा प्रार्थना पत्र सभी प्रार्थीगण की सहमति से सभी के हित व फायदा हेतु पेश किया जा रहा है ग्राम समदडी के राजस्व सीमा में निम्न रकबा आराजी आयी हुई है खसरा नम्बर 433 रकबा 00.03 बीघा,खसरा संख्या 435 रकबा 17.05 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 06.17 खसरा नम्बर 622/434 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 623/434 रकबा 02.08 बीघा किस्म चाही दोयम स्थित है। जिसमे खसरा नम्बर 623/434 विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से इस प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित की जा रही है। खसरा नम्बर 622/434 करबा 02.08 बीघा किस्म चाही दोयम कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर खातेदारी हक हकूक व कब्जा काश्त होकर संयुक्त सामलाती की आयी हुई है जिसपर कदीम से लेकर कब्जा काश्त आज दिन तक बिना किसी विवाद र्निविरोध व र्निबोध रूप से निरन्तर लागातार पीढियों से चला आ रहा है उक्त कृषि भूमि के उत्तर में डामर सडक खसरा संख्या 622/434 दक्षिणी में रास्ता व पूर्व में खसरा संख्या 446 पश्चिम में रास्ता मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में अस्थान पर प्रार्थीगण के कृषि उपकरण रखने के लिये पक्की चार दीवारी निकालकर मय फाटक परिसर बना हुआ है उक्त परिसर व वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण लगातार शांतिपूर्वक विप्रार्थीगण के ज्ञान में होते हुए कृषि कार्य के लिए व परिसर को कृषि उपकरण रखने के लिए काम मे लेते आ रहे है।

वादग्रस्त पर निर्मित चारदीवारी के परिसर व कृषि भूमि जो प्रार्थीगण के हक मालिकाना व खातेदारी कृषि भूमि है जिस विप्रार्थीगण को अवैध कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। विप्रार्थीगण का प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने का कृत्य अवैध है। विप्रार्थीगण समदडी गांव के खूंखार व्यक्ति है व इनका एक गिरोह बना हुआ है जो आये दिन गरीब लोगो के भूखण्ड व जमीन पर कब्जा कर आगे बेचान कर देते है व डरा धमकाकर रूपये ऐठते है विप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दिनांक 15.02.2008 को प्रार्थीगण की कृषि भूमि हक मालिकाना व कब्जासुद खसरा नम्बर 623/434 रकबा 02.08 बीघा पर आये व प्रार्थीगण को धमकी दी कि हमे उक्त कृषि भूमि में से एक प्लाट दो, नही तो हम उक्त कृषि भूमि पर रातोरात कब्जा कर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेगे तुमको बेदखल कर कब्जा कर लेगे। विप्रार्थीगण को अवैध दखल रोकने हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्व वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। विप्रार्थीगण को दौराने दावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि हक मालिकाना व कब्जासुद में दखल नहीं दे इसलिये विप्रार्थीगण को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टिया काबिल

है। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

विप्रार्थीगण की ओर जबाब मय काउण्टर क्लेम विप्रार्थी तगाराम जरिये अध्यक्ष समदडी उत्पदक सहकारी समिति समदडी द्वारा प्रस्तुत किया गया दीगर विप्रार्थीगण की आरे कोई जबाब पेश नहीं हुआ ।

प्रार्थीगण की ओर से जबाबुल जबाब पद वार प्रस्तुत कर जबाब का खण्डन कर विप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया ।

प्रार्थीगण के वकील द्वारा दौराने बहस यह व्यक्त किया कि खसरा संख्या 623/434 रकबा 02.08 बीघा प्रार्थीगण के पैतृक कब्जा काश्त है विप्राथीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा काश्त का प्रयास किया गया थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा में सीआरपीसी की धारा 145 में उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रकरण प्रस्तु किया गया। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया जिसकी माननीय जिला एंव सत्र न्यायालय बालोतरा निगरानी संख्या 47/2008 दिनांक 12.11.2008 कुर्की आदेश निरस्त किया गया एवं मौका रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है। पटवारी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा भी आराजी भूमि हमारी खातेदारी होना बताया है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान व्यक्त किया गया है कि चर्म उत्पादक समिति प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 में पक्षकार बने है पुराना खसरा नम्बर 434 रकबा 18.00 बीघा में 1/2 हिस्सा 9 .00 बीघा चर्म उत्पादक समिति नाराणाराम अचालराम जरिये बिना रजिस्ट्रर्ड लिखित बहस 29.10.54 रा.का.अ. लागू होने से पहले से कब्जा विप्रार्थीगण चर्म उत्पादक समिति का है पहले से कब्जा विप्रार्थीगण चर्म उत्पादक समिति का है साथ ही कमीशनर रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए भूमि पूर्वाधिकारियो द्वारा बेचान करने उनके हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह तय करना है कि प्रार्थीगण दौराने दावा विप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है ?

न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी की छायाप्रति अप्रमाणित संवत् 2063–2066 ग्राम समदडी के खसरा नम्बर 623/434 रकबा 02.08 बीघा चा.दो. एवं नक्शा किश्तवार आंशिक छायप्रति ग्राम समदडी खसरा संख्या 434 के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से राजस्व अभिलेख में भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जो राहत चाही गई है उसकी सही जानकारी न्यायालय के समक्ष

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना (बाड़मेर)

पक्षकारन के साक्ष्य आने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगी। प्रार्थीगण द्वारा दौराने दावा निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी में प्रार्थीगण पुश्तैनी भूमि में रेकार्डेड खातेदर है जिसकी प्रथम दृष्टिया प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है रेकार्डेड खातेदार होने से माननीय सेंशन न्यायालय के आदेश में कब्जा प्रार्थीगण के माना है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति को होगी। साम्या के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर विप्रार्थीगण के विरूद्व दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 23.02.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना